COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20 20रु. कोर्ट फी CANCELLED

(86)

समक्ष न्यायालय माननीय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर, जबलपुर केम्प

राजस्व पुनरीक्षण क्र. ..../2018

निगरानी-6429/2018/ सिवनी/भू.रा.

आवेदक :- प्रदीप कुमार दुबे (मृत) मार्फत
किशोर कुमार दुबे उम्र लगभग 62 वर्ष
आत्मज स्व. रघुवीर प्रसाद दुबे
निवासी- ग्राम बरेला, तहसील घन्सौर
जिला सिवनी (म.प्र.)

16 NOV

कार्यालय कमिश्नर जबलपुर

// विरूद्ध //

(748)

अनावेदकगण :- 1. गणेश प्रसाद नेमा (मृत) मार्फत वारसान
ए. हितेष नेमा उम्र लगभग 35 वर्ष
बी. श्रीमती गुड्डी बाई उम्र लगभग 25 वर्ष
सी. श्रीमती सुनीता उम्र लगभग 23 वर्ष
डी. श्रीमती अनीता उम्र लगभग 20 वर्ष
सभी आत्मज/आत्मजा स्व. गणेश प्रसाद नेमा

2. बाल भूषण नेमा उम्र लगभग 40 वर्ष,
आत्मज स्व. गणेश प्रसाद नेमा
सभी अनावेदकगण निवासी- ग्राम बरेला तहसील घंसौर
जिला- सिवनी

पुनरीक्षण, अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959

आवेदक, विद्वान निम्न पुनरीक्षण न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा राजस्व नि.प्र.क्र. 112/बी-121/2010-11 पक्षकार प्रदीप कुमार विरूद्ध गणेश प्रसाद एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.08.2011 से दुखित होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर यह पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है :-

पुनरीक्षण के तथ्य

1. यह कि आवेदकगण द्वारा विद्वान निम्न विचारण न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार घन्सौर/कहानी के समक्ष दिनांक 6.2.09 को धारा 248, म.प्र. भू राजस्व संहिता का इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि ग्राम बरेला प.ह.नं. 4, रा.नि.मं.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी–सिवनी / भू0रा0 / 2018 / 6429

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि आदि के हस्ताक्षर
24/12/18	यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 112 बी–121 / 2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17–8–2018 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर (केंप जबलपुर) में दिनांक 16–11–2018 को प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये तथा प्रस्तुत अभिलेख पर विचार किया गया। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 (नवीन सॅशोधित संहिता वर्ष 2018 प्रभावी दिनांक 25–9–2018) की धारा 50 में निम्नवत् संशोधन हुआ है :– धारा 50 (2) – पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन – (ख) इस संहिता के अधीन द्वित्तीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्व ; (ग) पुनरीक्षण में पारित किए गए किसी आदेश के विरूद्व ; – ग्रहण नहीं किया जायेगा। वर्ष 2018 में उपरोक्तानुसार किये गये सॅशोधन अनुसार प्रस्तुत निगरानी अग्राह्य होने से अमान्य की जाती है। सदस्य	